# न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल

**जमानत आवेदन संख्या–166 / 2026**

**(पिपरा थाना कांड सं0–214 / 2024)**

| | | |
|---|---|---|
| | आयूष कुमार उर्फ आयूष कुमार ठाकुर, पे0 विनोद कुमार उर्फ विनोद कुमार ठाकुर, साकिन करजाईन बाजार वार्ड नं0–15 थाना करजाईन, जिला सुपौल<br>.....अभियुक्त / आवेदक<br>बनाम्<br>बिहार सरकार.....विपक्षी | |
| 25 / 03 / 26 | प्रस्तुत जमानत आवेदन काराधीन अभियुक्त आवेदक **आयूष कुमार उर्फ आयूष कुमार ठाकुर** की ओर से दाखिल किया गया है जो पिपरा थाना कांड संख्या–214 / 2024, धारा– 384, 386, 420, 120(बी) / 34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दिनांक 11 / 02 / 2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।<br>जमानत के बिन्दु पर अभियुक्त आवदेक के विद्वान अधिवक्ता श्री शीलभद्र कुमार सिंह एवं अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक श्री जे0एन0 पाण्डेय को सुना।<br>अभियुक्त आवदेक के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अभियुक्त आवदेक बिल्कुल निर्दोष है तथा इनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। अभियुक्त आवेदक के विरूद्व पूर्व से कोई भी आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। अभियुक्त आवेदक के प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नहीं है। प्रस्तुत मुकदमा में अभियुक्त आवेदक को झूठा फॅसाया गया है। अभियुक्त आवदेक दिनांक 11 / 02 / 2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त आवदेक स्वच्छ जमानतदार देने के लिए तैयार है। अतः अभियुक्त आवदेक को जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है।<br>विद्वान लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।<br>अभियुक्त आवेदक सूचक रितेश कुमार के टंकित आवेदन के आधार पर संस्थित पिपरा थाना कांड संख्या–214 / 2024, धारा–384, 386, 420, 120बी / 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी का अप्राथमिकी अभियुक्त है। सूचक ने अपने आवेदन में अभिकथन किया है, कि दिनांक 24.06.2024 को समय करीब 09:00 बजे पूर्वहान में अंकित कुमार उसे आयुष कुमार तथा सौरव कुमार को धोखा देकर महेशपुर बुलाया तथा महेशपुर पेट्रोल पम्प के पास पहुॅचकर वे अपने मोबाईल नं07 9934417667 से अंकित मोबाईल नं0 पर फोन किया तो वह पेट्रोल पम्प के पास दो मोटर साईकिल पर दो दो व्यक्ति उसके पास आया तथा अपने साथ चलने को कहा। इस पर वे लोग अंकित के मोटर साईकिल के पीछे पीछे जाने लगा तथा वे लोग इनलोगों के पास के ही स्कूल पर ले गया और वहॉ पर इनलोगों से रंगदारी की मॉगन करने लगा तथा जब ये लोग बोला कि पैसा नहीं है तो वे सभी लोग इनलोगों के साथ मारपीट करने लगा तथा सूचक का दोस्त आयुष कुमार के पॉकेट से मोबाईल पोको एक्स 6 प्रो0 कम्पनी का जिसमें एयरटेल का सीम नं0– 8434996543 एवं जियो का सीम नं0–8757931597 लगा हुआ तथा वीवो वाई–36 कम्पनी का स्मार्ट फोन जिसमें एयरटेल कम्पनी का सीम नं0–9934417667 लगा हुआ था छीन लिया। उसके बाद सूचक को कहा कि कि मोबाईल | लगातार... |

# <u>न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल</u>

**जमानत आवेदन संख्या–166 / 2026**

**(पिपरा थाना कांड सं0–214 / 2024)**

| | | |
|---|---|---|
| **<u>लगातार...</u>**<br>**25 / 03 / 26** | नं0– 8757931597 से 2200 / रूपया एक बार तथा 3700 / – रूपया दुबारा वे अपने फोन पर भेजवाया। इसी क्रम में सूचक का दोस्त सौरव कुमार अपने मोटर साईकिल से भाग गया।<br><br>अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त आवदेक प्राथमिकी के अप्राथमिकी अभियुक्त है। प्राथमिकी के अनुसार अभियुक्त आवेदक के विरूद्व मोबाईल छीनने का आरोप नहीं है। सूचक एवं अभियुक्त आवेदक के मध्य मेल व सुलह हो गया है तथा सुलहनामा एवं अनुमति आवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। अभियुक्त आवेदक दिनांक 11 / 02 / 2026 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं।<br><br>उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, सुलहनामा एवं काराअवधि को ध्यान में रखते हुये अभियुक्त आवदेक को जमानत देना न्यायोचित प्रतीत होता है। अभियुक्त आवेदक **आयूष कुमार उर्फ आयूष कुमार ठाकुर** की ओर से दाखिल जमानत आवेदन स्वीकृत की जाती है। अभियुक्त आवेदक को निम्न न्यायालय की संतुष्टि पर 20,000 / – रूपये के एवं समान राशि के दो प्रतिभुओं के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर इस शर्त पर जमानत दिया जाता है कि एक जमानतदार नजदीकी रिस्तेदार होगें।<br><br>लेखापित<br>–हस्ता0–<br>(अनंत सिंह)<br>प्रधान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल | |